न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पीपलू जिला टोंक (राज0)

पीठासीन अधिकारी गणराज बड़गोती (आर.ए.एस.) द्वारा अध्यासित

प्रा0पत्र संख्या—61/2025

प्रा0पत्र प्रविष्टि दिनांक—27.12.2024

निर्णय दिनांक—09.12.2025

नन्दू उर्फ रामपाली पुत्री लक्ष्मीनारायण पत्नि हनुमान जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी ग्राम झिराना, हाल निवासी ग्राम बगड़वा तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)

प्रार्थीगण

बनाम

तहसीलदार पीपलू जिला टोंक (राज0)

अप्रार्थी

अधिवक्ता प्रार्थीगण—श्री छीतरलाल प्रजापत एड0

अप्रार्थी—पैरोकार सरकार तहसीलदार पीपलू

आवेदन बाबत् दुरूस्ती इन्द्राज

अन्तर्गत धारा 136 भू—राजस्व अधिनियम

निर्णय

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि भूमि आराजी ख0न0 2529, 73/2 कुल किता 02 कुल रकबा 1.8335 हैक्ट. वाके ग्राम झिराना, पटवार हल्का झिराना तह0 पीपलू में स्थित है। प्रार्थिया का बचपन से घरेलू नाम नन्दू है। जिसे नन्दू के नाम से ही जाना जाता रहा है, लेकिन शादी के उपरान्त ससुराल में नन्दू के स्थान पर रामपाली के नाम से जाने जाना लगा तथा राशन कार्ड, आधार कार्ड, जनआधार कार्ड, बैंक डायरी आदि दस्तावेजो में रामपाली ही नाम अंकित है। प्रार्थीया के पिता लक्ष्मीनारायण का जब देहान्त हुआ ओर विरासत का नामान्तकरण खोला गया तो गांव वालो के कहे अनुसार ही नामान्तकरण नन्दू पुत्री लक्ष्मीनारायण से दर्ज कर दिया गया। प्रार्थीया अनपढ व घरेलू महिला होने के कारण अपने ससुराल में रखे गये नाम रामपाली जमाबंदी में अंकित नही करवा पायी है। प्रार्थीया नन्दू व रामपाली एक ही महिला है। जिसके दो नाम है। जिसे ससुराल में रामपाली के नाम से जाना जाता हैं। पीहर में नन्दू के नाम से जाना जाता रहा है। उक्त वर्णित आराजीयात के खाते में प्रार्थीया का नाम नन्दू पुत्री लक्ष्मीनारायण के स्थान पर नन्दू उर्फ रामपाली अंकित किया जाना आवश्यक

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with OKEN Scanner

है। अतः प्रार्थना पत्र दुरूस्ती इन्द्राज प्रस्तुत कर निवेदन है कि भूमि आराजी ख0न0 2529, 73/2 कुल किता 02 कुल रकबा 1.8335 हैक्ट. वाके ग्राम झिराना, पटवार हल्का झिराना में स्थित आराजीयात में प्रार्थीया का नाम नन्दू पुत्री लक्ष्मीनारायण के स्थान पर नन्दू उर्फ रामपाली पुत्री लक्ष्मीनारायण अंकित किये जाने के आदेश प्रदान करे।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी तहसीलदार पीपलू की गई तथा अप्रार्थी तहसीलदार पीपलू से राजस्व रिकॉर्ड की तथ्यात्मक रिपोर्ट व जवाब चाहा गया। तहसीलदार पीपलू ने जवाब प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम झिराना की जमाबंदी संवत् 2072–75 के खाता संख्या 376 में दर्ज भूमि आराजी ख0न0 2529, 73/2 कुल किता 02 कुल रकबा 1.8335 हैक्ट. में नन्दू पुत्री लक्ष्मीनारायण दर्ज है। प्रार्थीया अपना नाम नन्दू से रामपाली जिस आधार पर परिवर्तन करवाना चाहती है। संलग्न मौका पर्चा अनुसार उपस्थितो अनुसार प्रार्थीया का नाम नन्दू होना बताया गया तथा जनआधार कार्ड, आधार कार्ड में रामपाली देवी होना बताया गया। उपस्थितो अनुसार दोनो नामो से एक ही महिला होना बताया गया। प्रार्थिया अपने साक्ष्य सबूतो से स्वयं सिद्ध करे। प्रार्थी राजस्व रिकॉर्ड मे नन्दू से रामपाली करवाने हेतु दस्तावेजी साक्ष्य सबूतो के आधार पर अपना पक्ष रखते हुए न्यायालय से अनुतोष प्राप्त कर सकती है।

अधिवक्ता प्रार्थीया ने प्रस्तुत तथ्यात्मक रिपोर्ट पर बहस का निवेदन किया। बहस उभयपक्ष सुनी। अधिवक्ता प्रार्थीया ने दौराने बहस प्रा0पत्र में अंकित तथ्यों का दोहरान करते हुए कहा कि भूमि आराजी ख0न0 2529, 73/2 कुल किता 02 कुल रकबा 1.8335 हैक्ट. वाके ग्राम झिराना, पटवार हल्क्हा झिराना तह0 पीपलू में स्थित है। प्रार्थिया का बचपन से घरेलू नाम नन्दू है। जिसे नन्दू के नाम से ही जाना जाता रहा है, लेकिन शादी के उपरान्त ससुराल में नन्दू के स्थान पर रामपाली के नाम से जाने जाना लगा तथा राशन कार्ड, आधार कार्ड, जनआधार कार्ड, बैंक डायरी आदि दस्तावेजो में रामपाली ही नाम अंकित है। प्रार्थीया के पिता लक्ष्मीनारायण का जब देहान्त हुआ ओर विरासत का नामान्तकरण खोला गया तो गांव वालो के कहे अनुसार ही नामान्तकरण नन्दू पुत्री लक्ष्मीनारायण से दर्ज कर दिया गया। प्रार्थीया अनपढ व घरेलू महिला होने के कारण अपने ससुराल में रखे गये नाम रामपाली जमाबंदी में अंकित नही करवा पायी है। प्रार्थीया नन्दू व रामपाली एक ही महिला है। जिसके दो नाम है। जिसे ससुराल में रामपाली के नाम से जाना जाता हैं। पीहर में नन्दू के नाम से जाना जाता रहा है। उक्त वर्णित आराजीयात के खाते में प्रार्थीया का नाम नन्दू पुत्री लक्ष्मीनारायण के स्थान पर नन्दू उर्फ रामपाली अंकित किया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र दुरुस्ती इन्द्राज प्रस्तुत कर निवेदन है कि भूमि आराजी ख0न0 2529, 73/2 कुल किता 02 कुल रकबा 1.8335 हैक्ट. वाके ग्राम झिराना, पटवार हल्क्हा झिराना में स्थित आराजीयात में प्रार्थीया का नाम नन्दू पुत्री लक्ष्मीनारायण के स्थान पर रामपाली पुत्री लक्ष्मीनारायण अंकित किया जावे।

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with OKEN Scanner

अधिवक्ता अप्रार्थी ने अपनी बहस में बताया कि ग्राम झिराना की जमाबंदी संवत् 2072–75 के खाता संख्या 376 में दर्ज भूमि आराजी ख0न0 2529, 73/2 कुल किता 02 कुल रकबा 1.8335 हैक्ट. में नन्दू पुत्री लक्ष्मीनारायण दर्ज है। प्रार्थीया अपना नाम नन्दू से रामपाली जिस आधार पर परिवर्तन करवाना चाहती है। संलग्न मौका पर्चा अनुसार उपस्थितो अनुसार प्रार्थीया का नाम नन्दू होना बताया गया तथा जनआधार कार्ड, आधार कार्ड में रामपाली देवी होना बताया गया। उपस्थितो अनुसार दोनो नामो से एक ही महिला होना बताया गया। प्रार्थिया अपने साक्ष्य सबूतो से स्वयं सिद्ध करे। प्रार्थी राजस्व रिकॉर्ड मे नन्दू से रामपाली करवाने हेतु दस्तावेजी साक्ष्य सबूतो के आधार पर अपना पक्ष रखते हुए न्यायालय से अनुतोष प्राप्त कर सकती है।

हमने पत्रावली व प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों यथा आधार कार्ड, राशन कार्ड, जनआधार कार्ड, कार्यालय ग्राम पंचायत झिराना द्वारा जारी प्रमाण पत्र, आयकर विभाग द्वारा जारी पेन कार्ड, व अप्रार्थी तहसीलदार पीपलू द्वारा प्रस्तुत जवाब का अवलोकन किया व उभयपक्ष बहस पर मनन किया। उक्त अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थीया सही नाम रामपाली देवी है, जबकि भूमि आराजी ख0न0 2529, 73/2 कुल किता 02 कुल रकबा 1.8335 हैक्ट. वाके ग्राम झिराना, पटवार हल्का झिराना में प्रार्थिया का नाम नन्दू पुत्री लक्ष्मीनारायण दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है, जो त्रुटीपूर्ण है। अंतः उक्त वर्णित आराजीयात के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थिया के त्रुटीपूर्ण नाम **नन्दू पुत्री लक्ष्मीनारायण के स्थान पर रामपाली देवी पुत्री लक्ष्मीनारायण** दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। निर्णय आज दिनांक 09.12.2025 में मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं नियमानुसार दफ्तर दाखिल हो।

(गणराज बड़गोती आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी पीपलू
जिला टोंक (राज0)